

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 15.06.16.....

क्रमांक 1148A/1219/2016/16..... असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिये निम्नानुसार योजना बनाती है:-

फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता हेतु तराजू, बाट एवं टोकरी सहायता योजना:-

(अ) योजना का प्रावधान :-

- I. योजना का नाम " फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता हेतु तराजू, बाट एवं टोकरी सहायता योजना " होगा।
- II. इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता को तराजू, बाट एवं 02 टोकरी हेतु राशि रूपये 700/- (सात सौ रूपये मात्र) प्रति हितग्राही प्रदाय किया जावेगा।
- III. सहायता राशि एक बार प्रदाय किया जावेगा।
- IV. यह योजना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना हेतु पात्रता :-

- I. प्रदेश के किसी भी जिले में छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा पंजीकृत फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता को योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा।
- II. राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त करने की स्थिति में हितग्राही को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- III. 18 वर्ष से अधिक आयु वाले हितग्राही योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

- I. आवेदक/आवेदिका द्वारा स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन संबंधित जिला के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा।
- II. आवेदन में असंगठित कर्मकार का पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।


(द) भुगतान की प्रक्रिया :-

संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि पात्र हितग्राहियों को चेक अथवा उनके बैंक खाते में आरटीजीएस द्वारा भुगतान किया जावेगा।

(ई) विसंगति का निराकरण :-

योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार



(याकुब खस्स)

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
नया रायपुर, दिनांक 15-06-16

पृष्ठांकन क्र. 1148B/1219/2016/16,
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्री जी, छ.ग. शासन एवं पदेन अध्यक्ष, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर (छ.ग.)।
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
3. सचिव, छ.ग. शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
5. नोडल अधिकारी, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर (छ.ग.)।
6. कलेक्टर, जिला - (छ.ग.)।
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रमपदाधिकारी, जिला-..... (छ.ग.)।
8. उपसंचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग